न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं0– एम० पी0 09/2017

धारा–144 द०प्र०सं०

साधु सिंह मुण्डा...................प्रथम पक्ष

बनाम

नरेन्द्र कुमार सिंह वगैरह.....................द्वितीय पक्ष

	आदेश	
12-12-2017	प्रस्तुत वाद में प्रथम पक्ष के बहस को सुना । दाखिल किये गये कामजातों एवं पुलिस प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विवादित जमीन पर सरकार की ओर से ग्रामीण विकास पथ प्राधिकार जे0एस0 आर0 आर0 डी0 ए0 प्रोमेन्ट डी0 पी0 आर0 एवं आर0 डी0 डी0 खूँटी के कार्यपालक अभियंता के द्वारा रोड बनाने हेतु एकरारनामा किया गया है। रास्ता जनहित के हेतु बनाया जा रहा है। द्वितीय पक्ष वाद में अनुपस्थित है। अतः विवादित जमीन का मामला कार्यपालक अभियंता,ग्रामीण विकास पथ प्राधिकार जे0एस0 आर0 आर0 डी0 ए0 प्रोमेन्ट डी0 पी0 आर0 एवं आर0 डी0 डी0 खूँटी से संबंधित है। ऐसी स्थिति में वाद को द0 प्र0 सं0 कि धारा–144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर आदेश पारित किया जाना संभव नहीं है। वाद को खारिज किया जाता है। आवेदक संबंधित विभाग में आवेदन दे सकते है। लेखापित एवं संशोधित 12/12/17 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बुण्डू। 12/12/17 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बुण्डू।	

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.18 11:14:55 +05:30
Location: 10.93.79.10